


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई।</p> <p>प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि की रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काशत करती आ रही है। विप्रार्थीगण का सरकारी खसरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते हैं।</p> <p>अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहती है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजलीया तहसील सिवाना के खसरा संख्या 193/71 रकबा 2.9137 हैक्टर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 सिवाना (बाडमेर)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2024 / 859

दिनांक : 30-05-2024

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी
रामचन्द्र पोटलिया पुत्र प्रभूराम तहसीलदार सिवाना वगैरा
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश
जरिये पत्थर गढी


राजस्व आवेदन सं 42/2024

दिनांक :- 27.05.2024

--: आदेश :-

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम बिजलीया तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 193/71 रकबा 2.9137 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 1000/-प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक: वाचक / 2024 / 860 - 863
प्रतिलिपि :

दिनांक : 30-05-2024

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी देवन्दी को तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. रामचन्द्र पोटलिया पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी ग्रीन पार्क, जयपुर रोड बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर वगैरा


उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)